Thank you, Dhananjay Bhimrao Mahadik*ji*. Now, Shri Brij Lal on 'Demand to Name a Road in Delhi after Lakhi Shah Banjara'.

Demand to name a road in Delhi after Lakhi Shah Banjara

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापित महोदय, मैं दिल्ली में किसी सड़क का नाम लखीशाह बंजारा, उर्फ लाखा बंजारा के नाम पर रखने की माँग करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, लखीशाह बंजारा 17वीं शताब्दी के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे। उनके पास एक लाख से ज्यादा बैल थे, जिससे वे ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। 1675 में वे रायसीना हिल में कैंप कर रहे थे। उसी दौरान, 1675 में गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब में थे और वहाँ पर पंडित कृपा राम, कश्मीरी ब्राह्मण भी थे, उनका जत्था आया। उन्होंने कहा कि महाराज जी बचाइए, औरंगजेब हम लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा है। वह वही पीरियड है, जब हिन्दुओं को इस्लाम स्वीकार कराने का अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान मेरे पुरखे - हम लोग कोरी और कोली समाज के हैं, कपड़ा बुनना हमारा काम था। उस समय औरंगजेब ने कहा कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या पेशा छोड़ो। हमारे समाज के पास कपड़ा बुनने के अलावा कोई पेशा नहीं था। उस समय जो कन्वर्ट हो गए, वे 'जुलाहे' कहलाए, उसके बाद वे 'अंसारी' कहलाए जाते हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस में ये जो 'अंसारी' हैं, वे हमारे समाज के हैं, जिनको औरंगजेब ने कन्वर्ट किया था। हमारी बिरादरी, जो हिन्दु रह गई, इसके पास न पेशा है और न ही खेती है।

महोदय, अब मैं लाखा बंजारा पर आता हूँ। उस समय पंडित कृपाराम जी आए। गुरु तेग बहादुर जी ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा। उसके बाद गुरु जी अपने शिष्यों के साथ आगरा में 'गुरु का ताल' आ गए। वहां से औरंगजेब ने उनको उठवा लिया। उनको चांदनी चौक लाया गया, इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। 9 नवंबर, 1675 को उनके शिष्य मती दास जी को आरे से चीर दिया गया। दूसरे दिन, 10 नवंबर को उनके शिष्य सती दास को रुई में लपेट करके जला दिया गया। भाई दयाल दास को हाथ-पैर बांध करके, कड़ाहे में डाल करके, उबाल दिया गया। जब गुरु जी को टॉर्चर किया गया, बाध्य किया गया, लेकिन जब वे तैयार नहीं हुए, तो 24 नवंबर, 1675 को उनका सिर कलम कर दिया गया। उसके बाद वे लोग लाश के साथ भेद भी करते थे। लाखा बंजारा ने अपने सैकड़ों बैलों के साथ हल्ला बोल दिया। उन्होंने उनकी बॉडी को उठाया और उसे ले जाकर, उसका जो अपना घर था, उसमें उसे रख करके आग लगा दी और गुरु जी का cremation किया। आज, जहां सिर काटा गया था, वहां 'गुरुद्वारा शीशगंज' है, जहां उन्होंने cremate किया, वह है - 'गुरुद्वारा रकाबगंज'।

महोदय, मेरी एक डिमांड है कि लाखा बंजारा वे हैं, जिन्होंने सरोवर बनाए, उनका उसमें बहुत रोल है, तो मेरा कहना है कि यहां दिल्ली में तमाम विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रोड्स हैं, एक रोड पर से उनका नाम हटा करके, उस पर लाखा बंजारा का नाम रखा जाए, उनके नाम पर एक रोड किया जाए, जिनका हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Brij Lal: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. Kalpana Saina (Uttrakhand), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Rajasthan), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Naresh Bansal (Uttrakhand), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Krishan Lal Panwar (Haryana), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra) and Shri Sant Balbir Singh (Punjab).

Demand to address huge pendency of cases before the Commissioner of Income Tax (Appeals)

SHRI SANJEEV ARORA (PUNJAB): Thank you, Deputy Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on the appeals which are pending with Commissioners of Income Tax Appeals. I would like to express my deep concern regarding the significant backlog of appeals pending before Commissioner of Income Tax Appeals in India. The current situation is worrisome because as of April 2024, a staggering number of five lakh appeals remain unresolved with CIT, with the majority of these lodged within the recent implemented faceless appellate system. This immense backlog not only contradicts the commitment to timely decisions outlined in the Taxpayers Charter, but, also raises serious questions about equity and fairness within the tax system. Sir, in last financial year, only 61,311, around 10 per cent cases, were resolved, which is around 10 per cent and I am sure equal number must have been filed also. To address the critical situation, I urge the hon. Minister, through you, to consider the following measures in the upcoming time.

First is budget; but the budget is already there. So, the following aspects can be considered in the budget also. (i) Strengthening legal framework - enact appropriate legislations to enforce stricter time limits on CIT appeals for appeal disposal. The current advisory limit of one year is insufficient. Sir, it is an advisory limit, but it is not being adhered to. (ii) Taxpayer relief measures - introduce